न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 4/2019

उनवान

अमरचन्द पुत्र शिवदान जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

दिनांक :– 18.2.19

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 680/1498 रकबा 0–11–10 की आराजी वादी को राजस्व कैम्प दिलवाडा में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 10.8.91 को छोटी पट्टी के तहत वादी को आवंटन नियमन की गयी। उक्त आदेश की पालना नामान्तकरण संख्या 172 दिनांक 14.8.91 से तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 703 रकबा 0.09 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया हाल खसरा नम्बर 703 रकबा 0.09 है0 सिवायचक दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 680/1498 रकबा 0–11–10 वंर्किग जमाबंदी में वादी के नाम छोटी पट्टी के तहत खातेदारी अधिकार स्वीकार है। परन्तु नियमन/आवंटन आदेश पेश नही किया है। कब्जे के संबध में कोई साक्ष्य पेश नही किये है। वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार देने से राज्यहित प्रभावित होता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी को विधिवतआवंटन/ नियमन हुयी है ?
—वादी

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी

2. अनुतोष ?

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी अमरचन्द के बयान दर्ज करवाये व राजस्व अभिलेख पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि ग्राम दिलवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 680/1498 रकबा 0–11–10 की आराजी वादी को राजस्व कैम्प दिलवाडा में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 10.8.91 को छोटी पट्टी के तहत वादी को आवंटन नियमन की गयी। उक्त आदेश की पालना नामान्तकरण संख्या 172 दिनांक 14.8.91 से तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 703 रकबा 0.09 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। राज0 पैरोकार ने भी वंर्किग जमाबंदी के इन्द्राज को स्वीकार किया है। हाल राजस्व अभिलेख में बिना किसी आदेश व नामान्तकरण के उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गयी। वादी के आवंटन/नियमन को कोई चुतौती नही दी गयी है। अतः वाद स्वीकार किया जावे।

राज0 पैरोकार ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक है अतः वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम दिलवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 680/1498 रकबा 0–11–10 वादी अमरचन्द पुत्र शिवदान को कैम्प ग्राम पंचायत दिलवाडा में दिनांक 10.8.91 को छोटी पट्टी के तहत नियमन हुयी। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादी के पक्ष में आराजी मुतनाजा के छोटी पट्टी नियमन का नामान्तरकरण संख्या 172 दिनांक 10.8.91 को भरा गया जो दिनांक 14.8.91 को स्वीकार किया गया। तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण आदेश की पालना में वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार भी दर्ज कर दिया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 680/1498 रकबा 0–11–10 के हाल खसरा नम्बर 703 रकबा 0.09 बने है जो हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दिये है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादी को उक्त आराजी छोटी पट्टी के तहत नियमन की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन नामान्तकरण व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। उक्त नियमन आदेश के विरूद्व कोई 14 (4) की कार्यवाही नही हुयी है। वादी के पक्ष में किये गये उक्त नियमन को आज दिवस तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। साथ ही उक्त नियमन निरस्त होने का काई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी जो वादी को विधिवत नियमन की गयी का नियमन आज दिवस तक कायम है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक आंवटन/नियमन के निरस्त करने की कार्यवाही नही होती तथा सक्षम न्यायालय में आवंटन/नियमन को चुनौती नही दे दी जाती है तब तक

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

आवंटन/नियमन बहाल रहता है। तहसीलदार नसीराबाद ने ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तोवज पेश नही किया है कि वादी को हुये उक्त नियमन के विरूद्व कोई चाराजोही की गयी हो। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 703 रकबा 0.09 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

अमरचन्द बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 4/2019
पेश करने की दिनांक – 16.1.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नरेन्द्र सिंह राठौड मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 703 रकबा 0.09 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 02 सन् 2019 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner